



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

थानों रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज के निकट रायपुर, देहरादून-248008
वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in E- mail: chayanayog@gmail.com
विज्ञापन संख्या: 80/उ0अ0से0च0आ0/2026 दिनांक: 31 अगस्त, 2026

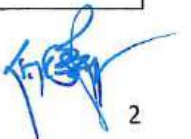
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत कम्प्यूटर सहायक, प्रवर सहायक/वरिष्ठ सहायक, निबन्धन लिपिक, कनिष्ठ सहायक व अन्य (समूह 'ग') के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	31 अगस्त, 2026
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि	08 सितम्बर, 2026
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	07 अक्टूबर, 2026
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि	12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, 2026 तक
लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनन्तिम तिथि	15 नवम्बर, 2026

02. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कम्प्यूटर सहायक, कनिष्ठ सहायक/सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, प्रवर सहायक/वरिष्ठ सहायक, निबन्धन लिपिक, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, सहायक खनिज पर्यवेक्षक, भूमि अर्जन अमीन/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक, अहलमद एवं कैशियर, स्टोर कीपर, गृहमाता एवं सर्वे लेखपाल (समूह-‘ग’) के कुल 553 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 07 अक्टूबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को अपने नाम व जन्मतिथि के सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल के प्रमाण-पत्र के साथ-साथ अपने आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण-पत्र अपलोड करने तथा ऐसे पद, जिनके लिए अनुभव प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हो, अनुभव प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। रिक्त पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	पदनाम/विभाग का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	कम्प्यूटर सहायक (सचिवालय प्रशासन-4, उत्तराखण्ड)	रु० 25,500—रु० 81,100 (लेवल-04)	09
2	कनिष्ठ सहायक/सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड)	रु० 25,500—रु० 81,100 (लेवल-04)	03
3	प्रवर सहायक/वरिष्ठ सहायक (ब्रिडकुल)	रु० 25,500—रु० 81,100 (लेवल-04)	01
4	निबन्धन लिपिक (स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	55
5	कनिष्ठ सहायक (परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	42
6	कनिष्ठ सहायक (उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	12

7	कनिष्ठ सहायक (सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल सम्भाग, देहरादून)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	14
8	कनिष्ठ सहायक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	05
9	कनिष्ठ सहायक (वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	04
10	कनिष्ठ सहायक (विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	03
11	कनिष्ठ सहायक (उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की, हरिद्वार)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	02
12	कनिष्ठ सहायक (विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	01
13	कम्प्यूटर ऑपरेटर (विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	01
14	कनिष्ठ सहायक (ब्रिडकुल)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	01
15	कनिष्ठ सहायक (कार्यालय महाधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय परिसर, उत्तराखण्ड, नैनीताल)	रु० 19,900—रु० 63,200 (लेवल-02)	02
16	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, अल्मोड़ा)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	12
17	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, बागेश्वर)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	02
18	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, चमोली)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	15
19	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, चम्पावत)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	09
20	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, देहरादून)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	02
21	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, हरिद्वार)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	17
22	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, नैनीताल)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	13
23	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	25
24	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, पिथौरागढ़)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	08



25	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	04
26	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	10
27	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	10
28	कनिष्ठ सहायक (राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	—
29	कनिष्ठ सहायक (निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	33
30	कनिष्ठ सहायक (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	32
31	कनिष्ठ सहायक (ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	—
32	कनिष्ठ सहायक (उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	26
33	कनिष्ठ सहायक (एन०सी०सी० विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	20
34	कनिष्ठ सहायक (समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	16
35	कनिष्ठ सहायक (स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	12
36	कनिष्ठ सहायक (कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	—
37	कनिष्ठ सहायक (महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	09
38	कनिष्ठ सहायक (संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	07
39	कनिष्ठ सहायक (जिला विकास अधिकारी, पिथौरागढ़)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	06
40	कनिष्ठ सहायक (लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	04
41	कनिष्ठ सहायक (श्रम विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	05
42	कनिष्ठ सहायक (मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	04
43	कनिष्ठ सहायक (ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड)	रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल-03)	03

44	कनिष्ठ सहायक (आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	03
45	कनिष्ठ सहायक (आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	02
46	कनिष्ठ सहायक (कृषि विभाग, उत्तराखण्ड)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	02
47	कनिष्ठ सहायक (जिला विकास अधिकारी, बागेश्वर)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	02
48	कनिष्ठ सहायक (जिला विकास अधिकारी, चम्पावत)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	02
49	टेलीफोन ऑपरेटर (राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड)	रु0 29,200—रु0 92,300 (लेवल-05)	01
50	कनिष्ठ सहायक (डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	01
51	कनिष्ठ सहायक (आवास विभाग, उत्तराखण्ड)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	22
52	कनिष्ठ सहायक (उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	02
53	सहायक खनिज पर्यवेक्षक (भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	22
54	भूमि अर्जन अमीन/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक (जिलाधिकारी, अल्मोड़ा)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	04
55	भूमि अर्जन अमीन/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक (जिलाधिकारी, हरिद्वार)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	04
56	अहलमद एवं कैशियर (जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी, देहरादून)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	02
57	स्टोर कीपर (उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	01
58	गृहमाता (समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड)	रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)	03
59	सर्वे लेखपाल (जिलाधिकारी, देहरादून)	रु0 19,900—रु0 63,200 (लेवल-02)	16
योग—			553

03. अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय Offline प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अनन्तिम है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। अभ्यर्थी उक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे।

 4

अभ्यर्थियों को सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होंगी। अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

04. पदों का विवरण:— उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने वाले अध्याचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष ऊर्ध्व व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्याचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है। उत्तराखण्ड शासन के क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों/नियमों/शासनादेशों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन/परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार/उपश्रेणी की संख्या घट/बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:—

A- पदनाम—

कम्प्यूटर सहायक

पदकोड—661/141/80/2026

कुल पद—09

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कम्प्यूटर सहायक (सचिवालय प्रशासन-4, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	02	01	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	06	02	—	—	—	—	—	
		योग	09	03	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रू० 25,500—रू० 81,100 (लेवल-04)

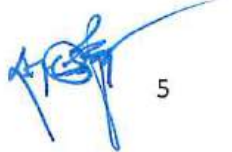
(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति एवं एम०एस० ऑफिस (M.S.Office) का ज्ञान।
- अन्य बातों के समान होने पर ही कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।



(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो, और
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

B- पदनाम—

कनिष्ठ सहायक/सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर

पदकोड—652 / 223 / 80 / 2026

कुल पद—03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कनिष्ठ सहायक /सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	02	01	—	—	—	—	—	
		योग	03	01	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रु० 25,500—रु० 81,100 (लेवल-04)

(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

1. अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण 4000 की—डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की न्यूनतम गति।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

C- पदनाम—**प्रवर सहायक/वरिष्ठ सहायक**

पदकोड—508 / 394 / 80 / 2026

कुल पद—01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	प्रवर सहायक / वरिष्ठ सहायक (ब्रिडकुल)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रु० 25,500—रु० 81,100 (लेवल—04)

(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थाई।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

- Intermediate with minimum typing speed of 25 WPM in Hindi and 30 in English And Well versed with working in M.S.Office And minimum 5 years experience in Govt./Semi Govt./Public Sector/Reputed Ltd. company And
- Have served at least 3 years in the relevant post and grade immediately below post applied for.

D- पदनाम—**निबन्धन लिपिक**

पदकोड—794 / 325 / 80 / 2026

कुल पद—55

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	निबन्धन लिपिक (स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	09	03	—	—	—	—	01	(02) LV/PB-01, HH/PD-01
		अ०ज०जा०	02	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	07	02	—	—	—	—	01	
		आ०क०व०	05	01	—	—	—	—	—	
		अना०	32	10	01	02	02	02	03	
		योग	55	16	01	02	02	02	05	02



- (ii) वेतनमान:— रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)
 (iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
 (iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के साथ-साथ कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या
2. नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

E- पदनाम—

कनिष्ठ सहायक

पदकोड—664/220/80/2026

कुल पद—42

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						दिव्यांग
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कनिष्ठ सहायक (सम्भागीय संवर्ग) (परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	07	01	—	01	01	—	01	(03) LV/PB-01, HH/PD/D-01, CP/LC/DW/ AAV/AV/ MDy/MW-01
		अ०ज०जा०	02	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	04	01	—	—	—	—	01	
		आ०क०व०	04	01	—	—	—	—	—	
		अना०	17	04	—	02	03	—	01	
		योग	34	07	—	03	04	—	03	03
2	कनिष्ठ सहायक (परिवहन आयुक्त कार्यालय) (परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—	
		अना०	04	01	—	—	—	—	—	
		योग	08	01	—	—	—	—	—	—
कुल योग—			42	08	—	03	04	—	03	03

- (ii) वेतनमान:— रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल-03)
 (iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
 (iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
 (v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:-

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
 2. हिन्दी टंकण परीक्षा के लिए 4000 KDPH (की-डिप्रेशन पर आवर) की न्यूनतम गति निर्धारित होगी।
 3. कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री के लिए प्रति घण्टा 8000 की डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति।
- वांछनीय- कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी अथवा 'ओ' स्तर का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

F- पदनाम-

कनिष्ठ सहायक

पदकोड-820/220/80/2026

कुल पद-12

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:-

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कनिष्ठ सहायक (उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	(01) OL-01
		अ०ज०जा०	01	01	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	04	02	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	01	01	—	—	—	—	—	
		अना०	05	01	—	—	01	—	—	
		योग	12	05	—	—	01	—	—	01

(ii) वेतनमान:- रु० 21,700-रु० 69,100 (लेवल-03)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

1. किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा परिषद्/संस्था से इण्टरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. हिन्दी/अंग्रेजी टंकण का ज्ञान तथा कम्प्यूटर पर टंकण में 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होना आवश्यक है।
3. भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।


9

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

G- पदनाम-

कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर

कुल पद-14

क्र० सं०	पदकोड	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या							
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	621/220/80/2026	कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर (सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी)	अ०जा०	03	01	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—		
			अना०	04	01	—	—	—	—	—		
			योग	09	02	—	—	—	—	—	—	—
2	620/220/80/2026	कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर (सम्भागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल सम्भाग, देहरादून)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	01	01	—	—	—	—	—		—
			अना०	03	—	—	—	—	—	—		—
			योग	05	01	—	—	—	—	—	—	—
कुल योग—				14	03	—	—	—	—	—	—	

(ii) वेतनमान:- रू० 21,700-रू० 69,100 (लेवल-03)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण।

2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति तथा एम०एस०ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक है।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,
3. कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान हो।

H- पदनाम—

कनिष्ठ सहायक

पदकोड—673 / 220 / 80 / 2026

कुल पद—05

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कनिष्ठ सहायक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	05	02	—	—	—	—	—	
		योग	05	02	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल—03)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. हिन्दी टंकण में 4000 KDPH प्रति मिनट की गति अवश्य होनी चाहिए।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जो:—

1. डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंक्रिडिटेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्सेज, से कम्प्यूटर में न्यूनतम ओ (0) स्तर का प्रमाण पत्र धारक।
2. अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।

I- पदनाम—**कनिष्ठ सहायक**

पदकोड—830 / 220 / 80 / 2026

कुल पद—04

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कनिष्ठ सहायक (वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	03	01	—	—	—	—	—	
		योग	04	01	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल—03)

(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

अभ्यर्थी को न्यूनतम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् रामनगर की इण्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये एवं कम्प्यूटर पर टंकण न्यूनतम गति 4000 KDPH का ज्ञान अनिवार्य है।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष तक सेवा की हो, या
2. नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

J- पदनाम—**कनिष्ठ सहायक**

पदकोड—046 / 220 / 80 / 2026

कुल पद—03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कनिष्ठ सहायक (विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	03	—	—	—	—	—	—	—

- (ii) वेतनमान:— रू0 21,700—रू0 69,100 (लेवल-03)
 (iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
 (iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
 (v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कम्प्यूटर परीक्षा के अन्तर्गत 4000 KDPH (की-डिप्रेशन पर ऑवर) की न्यूनतम गति होनी चाहिये।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या
3. अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्यस्तर अथवा विश्वविद्यालय/कॉलेज स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो, या
4. छटनीशुदा कर्मचारी हो।

K- पदनाम—

कनिष्ठ सहायक

पदकोड—770/220/80/2026

कुल पद—02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कनिष्ठ सहायक (उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की, हरिद्वार)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—	
		अना०	—	—	—	—	—	—	—	
		योग	02	—	—	—	—	—	—	

- (ii) वेतनमान:— रू0 21,700—रू0 69,100 (लेवल-03)
 (iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
 (iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
 (v) शैक्षिक अर्हता:—
 (a) अनिवार्य अर्हता:—

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 Key Depression प्रति घण्टे की गति।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जो/जिसने :-

1. अंग्रेजी टंकण जानता हो।
2. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
3. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

L- पदनाम—

कनिष्ठ सहायक

पदकोड—832 / 220 / 80 / 2026

कुल पद—01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कनिष्ठ सहायक (विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रू० 21,700—रू० 69,100 (लेवल—03)

(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान हो।
2. कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसे/जिसने :-

1. अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।
2. कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो।
3. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
4. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

M- पदनाम—**कम्प्यूटर ऑपरेटर**

पदकोड—832 / 137 / 80 / 2026

कुल पद—01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर (विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— ₹0 21,700—₹0 69,100 (लेवल—03)**(iii) आयु सीमा:—** 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।**(iv) पद का स्वरूप:—** अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।**(v) शैक्षिक अर्हता:—****(a) अनिवार्य अर्हता:—**

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 06 माह का कम्प्यूटर संचालन का कोर्स उत्तीर्ण हो।

2. कम्प्यूटर में हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसे/जिसने :—

1. कम्प्यूटर पर एम०एस० ऑफिस में कार्य करने की दक्षता।
2. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
3. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

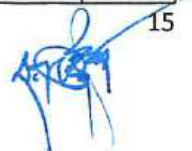
N- पदनाम—**कनिष्ठ सहायक**

पदकोड—508 / 220 / 80 / 2026

कुल पद—01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कनिष्ठ सहायक (ब्रिडकुल)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	—	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—



(ii) वेतनमान:— रु0 21,700—रु0 69,100 (लेवल—03)

(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

1. Intermediate with minimum typing speed of 25 WPM in Hindi and 30 in English And Well versed with working in M.S.Office And
2. Minimum 2 years experience in relevant field.

O- पदनाम—

कनिष्ठ सहायक

पदकोड—760 / 224 / 80 / 2026

कुल पद—02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र0 सं0	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कनिष्ठ सहायक (कार्यालय महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, उत्तराखण्ड, नैनीताल)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	02	—	—	—	—	—	—	
		योग	02	—	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रु0 19,900—रु0 63,200 (लेवल—02)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

अभ्यर्थी ने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण/हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टे होना चाहिए।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष सेवा की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "सी" अथवा "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

P- पदनाम—

कनिष्ठ सहायक

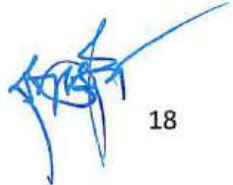
कुल पद—132

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदकोड	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	151/220/80/2026	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, अल्मोड़ा)	अ०जा०	05	02	—	—	—	—	01	—
			अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—		
			अना०	06	02	—	—	—	01		
			योग	12	04	—	—	—	—	02	—
2	152/220/80/2026	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, बागेश्वर)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	01	01	—	—	—	—		
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—		
			अना०	—	—	—	—	—	—		
			योग	02	01	—	—	—	—	—	—
3	153/220/80/2026	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, चमोली)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	02	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	02	—	—	—	—	—		
			अना०	10	—	—	—	—	—		
			योग	15	—	—	—	—	—	—	—
4	154/220/80/2026	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, चम्पावत)	अ०जा०	03	01	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	01	—	—	—	—	—		
			अना०	04	01	—	01	01	—		—
			योग	09	02	—	01	01	—	—	—
5	155/220/80/2026	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, देहरादून)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	02	—	—	—	—	—		
			अना०	—	—	—	—	—	—		
			योग	02	—	—	—	—	—	—	—



क्र० सं०	पदकोड	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या							
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	156 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, हरिद्वार)	अ०जा०	03	01	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	02	—	—	—	—	—	—		
			अना०	10	03	—	—	—	—	01		
			योग	16	04	—	—	—	—	—	01	—
7	156 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, हरिद्वार)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अना०	01	—	—	—	—	—	—		—
			योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—
8	157 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, नैनीताल)	अ०जा०	08	02	—	—	—	—	01	(01) HH/PD, D-01	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	02	01	—	—	—	—	—		—
			अना०	08	02	—	—	—	—	—		—
			योग	18	05	—	—	—	—	—	01	01
9	158 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल)	अ०जा०	06	01	—	—	—	—	01	(01) HH/PD-01	
			अ०ज०जा०	02	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	06	02	—	—	—	—	—		01
			आ०क०व०	05	01	—	—	—	—	—		01
			अना०	06	01	—	01	01	—	—		01
			योग	25	05	—	01	01	—	—	04	01
10	159 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (आपूर्ति शाखा) (जिलाधिकारी, पिथौरागढ़)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—		—
			अना०	05	01	—	—	—	—	—		—
			योग	07	01	—	—	—	—	—	—	—



क्र० सं०	पदकोड	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या							
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	159 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, पिथौरागढ़)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—		
			अना०	—	—	—	—	—	—	—		
			योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—
12	160 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग)	अ०जा०	02	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—		—
			अना०	01	—	—	—	—	—	—		—
			योग	04	—	—	—	—	—	—	—	—
13	161 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल)	अ०जा०	02	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	03	01	—	—	—	—	—		—
			अना०	05	02	—	—	—	—	—		—
			योग	10	03	—	—	—	—	—	—	—
14	162 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर)	अ०जा०	02	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—		—
			अना०	05	02	—	—	—	—	01		—
			योग	10	02	—	—	—	—	01	—	—
कुल योग—				132	27	—	02	02	—	09	02	

(ii) वेतनमान:— रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल—03)

(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

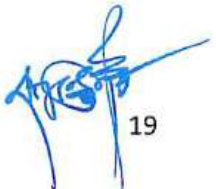
(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित / स्थाई / अस्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त / एन०पी०एस० युक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

1. अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश / माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण परीक्षा में प्रति घण्टा 4000 की—डिप्रेशन की न्यूनतम गति।



(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,
3. स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

Q- पदनाम-

कनिष्ठ सहायक

कुल पद-189

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

क्र० सं०	पदकोड	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या							
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	742/220/80/2026	कनिष्ठ सहायक (राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—		
			अना०	—	—	—	—	—	—	—		
			योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	014/220/80/2026	कनिष्ठ सहायक (निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	06	02	—	—	—	—	01	(01) HH/PD, D-01	
			अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	03	01	—	—	—	—	—		—
			अना०	22	06	—	01	01	01	02		—
			योग	33	09	—	01	01	01	03	01	
3	689/220/80/2026	कनिष्ठ सहायक (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	07	02	—	—	—	—	—	(01) PB, PD-01	
			अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	04	01	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	03	—	—	—	—	—	—		—
			अना०	17	05	—	01	01	01	02		—
			योग	32	08	—	01	01	01	02	01	
4	613/220/80/2026	कनिष्ठ सहायक (ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अना०	—	—	—	—	—	—	—		—
			योग	—	—	—	—	—	—	—	—	

20

क्र० सं०	पदकोड	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	464 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	06	02	—	—	—	—	01	(01) OA, OL-01
			अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	02	01	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	02	01	—	—	—	—	—	
			अना०	15	04	—	01	01	01	02	
			योग	26	08	—	01	01	01	03	01
6	442 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (एन०सी०सी० विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	04	01	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	04	01	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	02	—	—	—	—	—	—	
			अना०	09	02	—	—	—	—	—	
			योग	20	04	—	—	—	—	—	—
7	454 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	04	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	01	01	—	—	—	—	—	
			अना०	11	03	—	01	01	—	01	
			योग	16	04	—	01	01	—	01	—
8	794 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	02	01	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—	
			अना०	08	02	—	—	—	—	01	
			योग	12	03	—	—	—	—	01	—
9	754 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	—	—	—	—	—	—	—	
			योग	—	—	—	—	—	—	—	—
10	629 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	01	—	—	01	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	01	01	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	02	02	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	03	03	—	—	—	—	—	
			अना०	02	01	—	—	01	—	—	
			योग	09	07	—	01	01	—	—	—

21

क्र० सं०	पदकोड	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या							
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के विद्वित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	453 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—		
			अना०	04	02	—	—	—	—	—		
			योग	07	02	—	—	—	—	—		—
12	109 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (जिला विकास अधिकारी, पिथौरागढ़)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—		—
			अना०	04	01	—	—	—	—	01		—
			योग	06	01	—	—	—	—	01		—
13	622 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—		—
			अना०	02	—	—	—	—	—	—		—
			योग	04	—	—	—	—	—	—		—
14	072 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (श्रम आयुक्त कार्यालय) (श्रम विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	01	01	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—		—
			अना०	02	01	—	—	—	—	01		—
			योग	04	02	—	—	—	—	01		—
15	634 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	02	01	—	01	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	01	01	—	—	—	—	—		—
			अना०	—	—	—	—	—	—	—		—
			योग	04	02	—	01	—	—	—		—
16	616 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—		—
			अना०	02	01	—	—	—	—	—		—
			योग	03	01	—	—	—	—	—		—

42

क्र० सं०	पदकोड	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	056 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	01	—	—	—	—	—		
			अना०	02	—	—	—	—	—		
			योग	03	—	—	—	—	—	—	—
18	055 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	01	01	—	—	—	—	—	
			योग	02	01	—	—	—	—	—	—
19	434 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (कृषि विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	02	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	—	—	—	—	—	—	—	
			योग	02	—	—	—	—	—	—	—
20	102 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (जिला विकास अधिकारी, बागेश्वर)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	02	01	—	—	—	—	—	
			योग	02	01	—	—	—	—	—	—
21	104 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (जिला विकास अधिकारी, चम्पावत)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	02	01	—	—	—	—	—	
			योग	02	01	—	—	—	—	—	—
22	818 / 220 / 80 / 2026	कनिष्ठ सहायक (डॉ० आर०एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	—	—	—	—	—	—	—	
			योग	01	—	—	—	—	—	—	—

23

क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या												
क्र० सं०	पदकोड	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	072/220/80/2026	कनिष्ठ सहायक (कारखाना / बॉयलर) (श्रम विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	01	—	—	—	—	—	—	—	
			योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल योग—				189	54	—	06	05	03	12	03	

नोट:— उपरोक्त तालिका के बिन्दु संख्या 1, 4 तथा 9 पर अंकित विभागों से पदों की संख्या (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण अनुसार) प्राप्त होने पर उक्त विभागों के पदों को तदनुसार विज्ञापन में सम्मिलित किया जाएगा।

(ii) वेतनमान:— ₹० 21,700—₹० 69,100 (लेवल—03)

(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त/एन०पी०एस० युक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

1. अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

2- कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण परीक्षा में प्रति घण्टा 4000 की—डिप्रेशन की न्यूनतम गति।

(b) अधिमान्नी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो, या

2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

3. स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

R- पदनाम—

कनिष्ठ सहायक

पदकोड—801/220/80/2026

कुल पद—22

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कनिष्ठ सहायक (जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा) (आवास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	

24

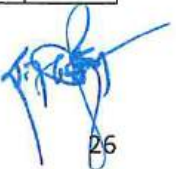
क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	कनिष्ठ सहायक (जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर) (आवास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	—
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—
3	कनिष्ठ सहायक (जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चमोली) (आवास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	—
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—
4	कनिष्ठ सहायक (जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत) (आवास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	—
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—
5	कनिष्ठ सहायक (मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून) (आवास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	—	—	—	—	—	—	—	—
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—
6	कनिष्ठ सहायक (हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार) (आवास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	—
		योग	02	—	—	—	—	—	—	—
7	कनिष्ठ सहायक (जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल) (आवास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	04	01	—	—	—	—	—	—
		योग	05	01	—	—	—	—	—	—



क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	कनिष्ठ सहायक (जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी) (आवास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—
9	कनिष्ठ सहायक (जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग) (आवास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—
10	कनिष्ठ सहायक (जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी) (आवास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—
11	कनिष्ठ सहायक (जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर) (आवास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—
12	कनिष्ठ सहायक (जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी) (आवास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—
13	कनिष्ठ सहायक (उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून) (आवास विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	04	01	—	—	—	—	—	
		योग	05	01	—	—	—	—	—	—
कुल योग—			22	02	—	—	—	—	—	

(ii) वेतनमान:— रु० 21,700—रु० 69,100 (लेवल—03)

(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।



(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त/सी0पी0एफ0 युक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

1. अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण परीक्षा में प्रति घण्टा 4000 की-डिप्रेशन की न्यूनतम गति।

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,
3. स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

S- पदनाम-

टेलीफोन ऑपरेटर

पदकोड-788/673/80/2026

कुल पद-01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

क्र० सं०	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	टेलीफोन ऑपरेटर (राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:- रू० 29,200-रू० 92,300 (लेवल-05)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसे किसी सरकार या प्रतिष्ठित अधिष्ठान में ई०पी०बी०एक्स० संचालन के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या भूतपूर्व सैनिक हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।



T- पदनाम—**कनिष्ठ सहायक**

पदकोड—816 / 220 / 80 / 2026

कुल पद—02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कनिष्ठ सहायक (उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	—
	योग		02	—	—	—	—	—	—	

(ii) वेतनमान:— ₹0 21,700—₹0 69,100 (लेवल—03)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

2. कम्प्यूटर परिचालन में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

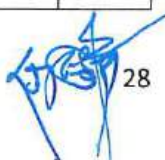
U- पदनाम—**सहायक खनिज पर्यवेक्षक**

पदकोड—422 / 491 / 80 / 2026

कुल पद—22

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक खनिज पर्यवेक्षक (भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	05	02	—	—	—	—	01	—
		अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	02	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	03	—	—	—	—	—	—	
		अना०	11	03	—	01	01	—	01	—
	योग		22	05	—	01	01	—	02	



(ii) वेतनमान:- ₹0 21,700-₹0 69,100 (लेवल-03)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट की परीक्षा या उसके समकक्ष राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
2. नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

V- पदनाम:-

भूमि अर्जन अमीन/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक

कुल पद-08

क्र० सं०	पदकोड	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	151/586/80/2026	भूमि अर्जन अमीन / भूमि अध्याप्ति निरीक्षक (जिलाधिकारी, अल्मोड़ा)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—		
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—		
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—		
			अना०	03	—	—	—	—	—		
			योग	04	—	—	—	—	—	—	—
2	156/586/80/2026	भूमि अर्जन अमीन / भूमि अध्याप्ति निरीक्षक (जिलाधिकारी, हरिद्वार)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	03	02	—	—	—	—	—	
			योग	04	02	—	—	—	—	—	—
कुल योग—				08	02	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:- ₹0 21,700-₹0 69,100 (लेवल-03)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिन्होंने लेखपाल के पद के लिये विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
2. नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

W- पदनाम-

अहलमद एवं कैशियर

पदकोड-155/023/80/2026

कुल पद-02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अहलमद एवं कैशियर (जिलाधिकारी / अभिलेख अधिकारी, देहरादून)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	02	—	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:- रू० 21,700-रू० 69,100 (लेवल-03)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।

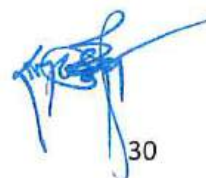
(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, या
2. नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।



X- पदनाम—**स्टोर कीपर**

पदकोड—816 / 637 / 80 / 2026

कुल पद—01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	स्टोर कीपर (उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	
		योग	01	—	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रू० 21,700—रू० 69,100 (लेवल—03)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित / अस्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

2. कम्प्यूटर परिचालन में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

Y- पदनाम—**गृहमाता**

पदकोड—454 / 185 / 80 / 2026

कुल पद—03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गृहमाता (समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	03	03	—	—	—	—	—	
		योग	03	03	—	—	—	—	—	—

- (ii) वेतनमान:— रू0 21,700—रू0 69,100 (लेवल-03)
 (iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
 (iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
 (v) शैक्षिक अर्हता:—
 (a) अनिवार्य अर्हता:—
 इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

Z- पदनाम—

सर्वे लेखपाल

पदकोड—155 / 443 / 80 / 2026

कुल पद—16

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सर्वे लेखपाल (सर्वेक्षण इकाई) (जिलाधिकारी, देहरादून)	अ०जा०	05	02	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—	
		अ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	09	03	—	01	01	—	01	
		योग	16	05	—	01	01	—	01	—

- (ii) वेतनमान:— रू0 19,900—रू0 63,200 (लेवल-02)
 (iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
 (iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
 (v) शैक्षिक अर्हता:—
 (a) अनिवार्य अर्हता:—

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, या
2. नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

05. लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया—

- (i) उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) 02 घन्टे की एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-01 का अवलोकन करें।
- (ii) लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनारक्षित, अ0क0व0 व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।
- (iii) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न-पुस्तिका (बुकलेट), परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।
- (iv) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) तीन प्रतियों (ट्रिप्लीकेट) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा केन्द्र में परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है।
- (v) प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।
- (vi) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।
- (vii) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।
- (viii) ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/कटिंग आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।
- (ix) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक या त्रुटिपूर्ण बुकलेट सीरीज अंकित किया जाता है अथवा ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में अनुक्रमांक या बुकलेट सीरीज अंकित नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

06. अधिमान:— लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा (आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी पहले तथा कनिष्ठ अभ्यर्थी बाद में आएगा), आयु के भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा (अन्य बातों के समान होने पर 4(b) के अनुसार) तथा अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

07. आयु:—

उपरोक्त पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2026 है।

i कनिष्ठ सहायक (उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, कार्यालय महाधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय परिसर उत्तराखण्ड—नैनीताल, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली—नैनीताल) तथा स्टोर कीपर (उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली—नैनीताल) के पदों हेतु अभ्यर्थी को उक्त तिथि को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए तथा अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2005 के पश्चात एवं 02 जुलाई, 1984 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

ii अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी को आयु गणना की निश्चायक तिथि को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए तथा अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2008 के पश्चात एवं 02 जुलाई, 1984 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह-‘ग’ के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

08. आवेदन हेतु पात्रता:-

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है:-

(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।

(ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र धारक हो।

(ग) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह “ग” के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(घ) शासन के पत्रांक-1097/XXX(2)/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार “जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। “उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं, सम्मिलित हैं।”

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि, वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा

34


इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु अर्ह माना जाएगा।

(ड.) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14.08.2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

09. अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-

केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा अभिलेख सन्निरीक्षा के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10. राष्ट्रीयता:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

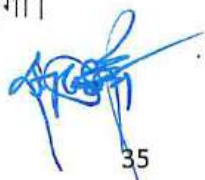
परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में उपरोक्तानुसार पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

11. चरित्र:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जाएगी।



12. वैवाहिक प्रास्थिति:—

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

13. शारीरिक स्वस्थता:—

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

14. आरक्षण:—

- i. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।
- ii. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04%, अनाथ बच्चों हेतु 05%, कुशल खिलाड़ी के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
- iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 07.10.2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करते हों।
- iv. शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ओबीसी0 प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिए।
- v. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह (Unreserved Category) अनारक्षित श्रेणी की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सन्निरीक्षा के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- vi. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 179/XXX(2)/2021-30(2)/2019 दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता-पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 एवं शासनादेश संख्या: 11/XXX(2)/2022-30(2)/2019 दिनांक 16 फरवरी, 2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।



vii. "भूतपूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सकीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले। (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह (Unreserved Category) अनारक्षित श्रेणी की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सन्निरीक्षा समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सन्निरीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

viii. भारत सरकार की कार्यालय ज्ञाप संख्या— 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो पहले से ही राज्य सरकार की समूह 'ग' और 'घ' की सेवा में कार्यरत है, वह राज्य सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' में उच्चतर श्रेणी या संवर्ग में किसी अन्य सेवायोजन को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिक हेतु यथाविहित आयु शिथिलता का लाभ प्राप्त कर सकेगा, यद्यपि ऐसा अभ्यर्थी राज्य सरकार की नौकरी में पूर्व सैनिक हेतु आरक्षण के लाभ के लिए अर्ह नहीं होगा।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 145/XXXVI(3)/2026/30(1)/2026 दिनांक 24 अप्रैल, 2026 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एक बार पूर्व सैनिक हेतु अनुमन्य आरक्षण के आधार पर यदि कोई पूर्व सैनिक लोक सेवाओं और पदों में नियुक्त/नियोजन प्राप्त कर लेगा, तो इसके पश्चात उसे पूर्व सैनिक के रूप में प्रदत्त आरक्षण का लाभ पुनः लोक सेवाओं और पदों में अनुमन्य नहीं होगा।

ix. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

x. "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से अभिप्रेत है।

xi. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:—244/xxxvi(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा राज्य की राज्यधीन सेवाओं में चयन के समय चिह्नित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या— WP-PIL 152/24 भुवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अधीन रहेगा।

शासनादेश संख्या: 139/XX(8)/24-27(रा0आ0)/2018 दिनांक 24 नवम्बर, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान चिह्नित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके हैं, वे पुनः अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने हेतु

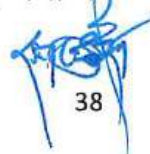
पात्र नहीं होंगे। प्रत्येक राज्य आन्दोलनकारियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आन्दोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।

- xii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-117/xxxvi(3)/2024/09(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 एवं पत्र संख्या:-172/xxxvi(3)/2025/13(1)/2025, दिनांक 28 अप्रैल, 2025 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 द्वारा 'कुशल खिलाड़ी' से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो या राज्य स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में है, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं है, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा.प्र./2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले अथवा राज्य स्तर पर खेलों में पदक विजेता कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगा:-

क्र० स०	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल-10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल-8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3	कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल-7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल-6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
5	राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलो इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल-5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
6	उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य खेल/राष्ट्रीय खेल संघों से मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप/युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ/विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल खेल/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयी खेल	पदक विजेता	लेवल-5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

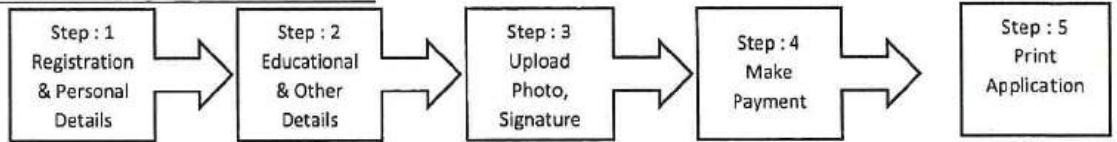
परन्तु यह कि राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रणीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।



- xiii.** कुशल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों (भारत सरकार अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जायेगी तथा समान श्रेणी की वरीयता के क्रम से तात्पर्य अपनी श्रेणी से है।
- xiv.** ऑनलाइन आवेदन-पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण, श्रेणी/उपश्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, महिला, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी तथा उनके आश्रित एवं उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या: 48/XVIIA-3/2023-01(11)/वि0क0/2017 दिनांक 05 जून, 2023 द्वारा दिव्यांगजनों हेतु पुनर्चिह्नांकित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।
- xv.** यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा तथा आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

नोट:- अभ्यर्थी आरक्षण से संबंधित प्रपत्र हेतु परिशिष्ट-2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ), 2(च), 3, 3(क), 3(ख) का अवलोकन करें। अभ्यर्थी उक्त परिशिष्टों में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार ही अपने प्रमाण-पत्र तैयार करवायें।

15. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के चरण:



- अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग करना होगा। एक आधार का उपयोग एक बार ही किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को स्वयं के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए।
- अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई-मेल आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द समझा जायेगा एवं यूके0एस0एस0सी0 द्वारा भविष्य में करायी जाने वाली परीक्षाओं से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझा जाएगा।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉग-इन के लिए आवश्यक है।
- अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ का आयाम (150w×200H px), हस्ताक्षर का आयाम (150w×100H px) और बायोमेट्रिक पुष्टि हेतु स्पष्टतः बाएं हाथ के अंगूठे का आयाम (150w×100H px) को जे0पी0जी0/जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में अपलोड करना होगा।
- आवेदन-पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू0पी0आई0 से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
- तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें chayanayog@gmail.com पर ई-मेल करें।
- यदि अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण से असफल (Failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (Failed) हो जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किया गया शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जायेगा।

 39

- ix. अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा, जब तक की अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Status वाले कॉलम में Completed प्रिन्ट न लिखा हो।
- x. निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ समझा जाएगा।
- xi. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।
- xii. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्ट-आउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

16. शुल्क:-

अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क (रु०)
01	अनारक्षित (Unreserved)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	300.00
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC)/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	150.00
03	उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)	150.00
04	अनाथ (ORPHAN)	00.00

17. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें:-

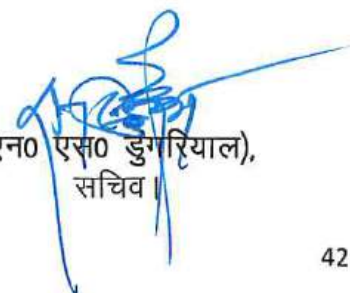
- (1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाईन फार्म में बिना प्रमाण-पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।
- (2) अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- (3) अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ऑनलाईन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त (cancel) कर, पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन निरस्त (cancel) करने पर निरस्त किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा और नवीन आवेदन पत्र के सापेक्ष समायोजित भी नहीं किया जायेगा। गलत भरे गये आवेदन-पत्र की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- (4) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण

पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है, साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग (F.I.R.) भी दर्ज कराया जाएगा।

- (5) प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा प्रारम्भिक स्तर पर ही उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आयोग द्वारा अंतिम रूप से चयन के उपरान्त अभ्यर्थी की संस्तुति प्रेषित की जा चुकी हो, तो उक्त स्थिति में भी आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (6) लिखित परीक्षा के पश्चात अभिलेख सन्निरीक्षा परीक्षा का अनिवार्य अंग है, जिसमें सभी आरक्षण/शैक्षिक अर्हता/अधिमानि अर्हता/अनुभव संबंधी दावे/अभिलेखों की पुष्टि की जाती है। अभिलेख सन्निरीक्षा के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जाएगा। नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभिलेख सन्निरीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के अतिरिक्त पृथक् अन्य किसी माध्यम से नहीं दी जायेंगी। अभिलेख सन्निरीक्षा में अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- (7) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को एक बार के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन (Edit) का अवसर प्रदान किया जायेगा, किन्तु अभ्यर्थी को अपने नाम, माता/पिता के नाम, आयु एवं परीक्षा केन्द्र में संशोधन/परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि के अक्षरों अथवा अंकों में आंशिक परिवर्तन कर एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरे जाते हैं तो संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- (8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (9) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।
- (10) आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (11) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी।
- (12) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
- (13) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सही नाम अंकित न करने के परिणामस्वरूप जारी त्रुटिपूर्ण प्रवेश-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।



- (14) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन-पत्र, उपस्थिति सूची, अभिलेख सन्निरीक्षा के समय तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- (15) प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई-मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें ताकि आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारीयां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे।
- (16) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- (17) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी औपबधिक उत्तर-कुंजियों के प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रु0 50/-प्रति प्रश्न की दर से अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।
- (18) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
- (19) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से वरीयता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (20) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-168/XXXVI(3)/2023 /10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 अधिनियमित किया गया है। किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के तत्समय लागू प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (21) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-
- | | | |
|---------|---|--------------------------|
| अ0जा0 | — | अनुसूचित जाति |
| अ0ज0जा0 | — | अनुसूचित जनजाति |
| अ0पि0व0 | — | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| अ0क0व0 | — | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| अना0 | — | अनारक्षित |


 (एन0 एस0 डुंगरियाल),
 सचिव।

परिशिष्ट - 1

परीक्षा पाठ्यक्रम

उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी (कनिष्ठ सहायक/अन्य इण्टर
स्तरीय) सेवा परीक्षा की परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम

परीक्षा योजना:- प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं यथा-

1. लिखित परीक्षा-केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
2. टंकण परीक्षा (अर्हकारी)।

1. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)-

विषय	कुल प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	समय (घण्टे)
सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन	100	100	2

2. टंकण परीक्षा (अर्हकारी **Qualifying**)

परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून

(जसवंत सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4
उत्तराखण्ड शासन

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून

कनिष्ठ सहायक / अन्य इण्टर स्तरीय पदों हेतु पाठ्यक्रम

SYLLABUS FOR THE POST OF JUNIOR ASSISTANT/OTHER INTERMEDIATE LEVEL EXAM

अधिकतम अंक: 100

(M.M. 100)

क्र०सं०	विषय (SUBJECT)	अंक	कुल अंक
01	सामान्य हिंदी (GENERAL HINDI)	20	100
02	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन	40	
	2.1 सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं तर्कशक्ति (GENERAL INTELLIGENCE TEST AND REASONING) 2.2 इतिहास (HISTORY) 2.3 भूगोल (GEOGRAPHY) 2.4 राजनीति विज्ञान (POLITICAL SCIENCE) 2.5 अर्थशास्त्र (ECONOMICS) 2.6 राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं (NATIONAL AND INTERNATIONAL CURRENT AFFAIRS) 2.7 कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान (FUNDAMENTAL OF COMPUTERS)		
	2.8 उत्तराखण्ड का सामान्य ज्ञान (GENERAL KNOWLEDGE OF UTTARAKHAND)	40	

(जसवंत सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
कार्मिक एवं सार्वजनिक अनुमान-4
उत्तराखण्ड शासन

01. सामान्य हिंदी

- भाषा एवं हिंदी भाषा— भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा के विविध रूप, कार्यालयी हिंदी, उत्तराखण्ड की प्रमुख बोलियाँ (कुमाँऊनी, गढ़वाली)।
- लिपि एवं वर्णमाला— देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण-दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएँ, स्वर एवं व्यंजन।
- हिंदी वर्तनी— वर्तनी—विश्लेषण, शुद्ध-अशुद्ध शब्द, विराम चिह्न, हिंदी अंक।
- शब्द संरचना— वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वाच्य, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, क्रिया-विशेषण, कारक, अव्यय।
- शब्द भंडार— तत्सम, तद्भव, देशज, आगत (भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द), एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी (विलोम), समानार्थी, पर्यायवाची, शब्द-युग्म, श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द।
- संधि— संधि विच्छेद एवं उसके प्रकार।
- वाक्य परिचय— वाक्य का अर्थ एवं परिभाषा, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, वाक्य-शुद्धि।
- मुहावरे और लोकोक्तियाँ परिभाषा, अर्थ एवं प्रयोग।
- पत्र लेखन— टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी पत्र।
- जनसंचार के विभिन्न माध्यम।
- हिंदी में कंप्यूटर का अनुप्रयोग।

परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून

(जयसुवन्त सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
कार्मिक एवं सर्वकृता अनुभाग-4
उत्तराखण्ड शासन

संयोजक
उत्तराखण्ड प्रशासनिक सेवा चयन आयोग
देहरादून

2.1 सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं तर्कशक्ति

(General Intelligence Test and Reasoning)

A. Verbal Reasoning (मौखिक तर्कशक्ति)

- Alphabetical Test (वर्णमाला परीक्षण)
- Coding-Decoding (कूटलेखन-कूटवाचन)
- Analogy (सादृश्यता)
- Order Arrangement (क्रम व्यवस्था)
- Blood Relations (रक्त संबंध)
- Classification (वर्गीकरण)
- Word Formation (शब्द निर्माण)
- Direction & Distance (दिशा एवं दूरी)
- Venn Diagram (वेन आरेख)
- Calendar (कैलेंडर)
- Problem Solving (समस्या समाधान)

B. Non-Verbal Reasoning (अमौखिक तर्कशक्ति)

- Classification (वर्गीकरण)
- Figure Counting (आकृति गणना)
- Figure Completion (आकृति पूर्ण करना)
- Grouping of Identical Figures (समान आकृतियों का समूह)
- Mirror & Water Image (दर्पण एवं जल प्रतिबिम्ब)
- Paper Folding & Cutting (कागज़ मोड़ना एवं काटना)
- Cube & Dice (घन एवं पासा)

2.2 सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन—इतिहास

प्राचीन (हड़प्पा सभ्यता से 1206 ईस्वी तक), मध्यकालीन और आधुनिक भारत का राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद की प्रमुख घटनाएँ, विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएँ—यूरोप में पुनर्जागरण, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध.

General Knowledge and General Studies- History

Political, Social, Economic, and Cultural history of Ancient (from the Harappan civilization to 1206 AD), Medieval, and Modern India, The Indian National Movement, Major post-independence events, Major Events of World History—Renaissance in Europe, American War of Independence, French Revolution, Russian Revolution, The First and Second World Wars.

2.3 सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन—भूगोल

भारत का भूगोल : भौगोलिक परिचय, उच्चावच, जलवायु, प्रवाह प्रणाली। संसाधन: प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल, खनिज एवं ऊर्जा। फसलें, जनसंख्या, वायु एवं जल प्रदूषण।

विश्व का भूगोल : सौर मंडल की उत्पत्ति, अक्षांश-देशान्तर, उच्चावच, चट्टानें, समुद्री धाराएँ, ज्वार भाटा, जलवायु, प्रमुख उद्योग एवं जनसंख्या।

General Knowledge and General Studies- Geography

Geography of India: Geographical introduction, Relief, climate, Drainage System. Resources: Natural vegetation, Soil, Water, Minerals and Energy. Crops, Population, Air and Water pollution.

World geography: Origin of Solar System, Latitude-Longitude, Relief, Rocks, Ocean Currents, Tides, Climate, Major Industries and Population.

2.4 सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन-राजनीति विज्ञान

भारत में राष्ट्रीय जागरण (प्रमुख नेता, संगठन और घटनाएँ), भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएँ, गांधीवादी विचार, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएँ, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति-निदेशक तत्व, भारत की संसद, भारत में राजनीतिक दल और चुनाव प्रक्रिया, स्थानीय स्व-शासन की अवधारणा और संयुक्त राष्ट्र संघ.

General Knowledge and General Studies- Political Science

National Awakening in India (Important Leaders, Organizations and Events), Important events of Indian National Movement, Gandhian Ideas, Salient features of the Constitution of India, Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy, Parliament of India, Political parties and Electoral Process in India, Concept of Local Self Government and United Nations Organization.

2.5 सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन-अर्थशास्त्र

भारतीय अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ, जनसंख्या, भारतीय कृषि की विशेषताएँ एवं समस्याएँ, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास एवं समस्याएँ, मुद्रा एवं बैंकिंग, नई आर्थिक नीति, मानव पूंजी निर्माण, निर्धनता, रोजगार, भारतीय कर प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था।

General Knowledge and General Studies- Economics

Features of Indian Economy, Population, Features and Problems of Indian Agriculture, Food Security, Industrial Development and Problems, Money and Banking, New Economic Policy, Human Capital Formation, Poverty, Employment, Indian Tax System, Foreign Trade of India, Balance of Payment, Globalisation and Indian Economy.

2.6 राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ

- भारत: राज्यों से संबंधित जानकारी, राष्ट्रीय प्रतीक, भौगोलिक जानकारी, महत्वपूर्ण स्थान, भाषा और साहित्य, खेल, पुरस्कार एवं अन्य समसामयिक घटनाक्रम.
- अन्तर्राष्ट्रीय: महत्वपूर्ण खोजें/आविष्कार, महत्वपूर्ण संगठन एवं अन्य समसामयिक घटनाक्रम.

National and International Current Affairs

- India: States -related Information, National Symbols, Geographical Information, Important Places, Languages and Literature, Sports, Awards and other Current Events.
- International: Important Discoveries/Inventions, Important Organizations and other Current Events.

Page 4 of 6

2.7 कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान

- **कंप्यूटर फंडामेंटल्स:** हिस्ट्री तथा बेसिक्स, क्लासिफिकेशन, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर, मेमोरी, कंप्यूटर लैंग्वेज, एल्गोरिथ्म एवं फ्लोचार्ट्स.
- **ऑपरेटिंग सिस्टम्स:** ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन्स एवं टाइप्स, प्रोसेसिंग, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम्स.
- **डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम:** डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, डेटाबेस की आवश्यकता तथा कीज़ के टाइप्स.
- **ऑफिस ऑटोमेशन:** वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स तथा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर.
- **नेटवर्किंग एवं इंटरनेट:** कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट बेसिक्स, आईएसपी, वेब ब्राउज़र्स, वर्ल्ड वाइड वेब, यूआरएल, डोमेन नेम्स, सर्च इंजिन्स, ईमेल, नेट एटीकेट, आईसीटी का सामाजिक प्रभाव, वेबसाइट्स, वेब पेजेज़, एचटीएमएल बेसिक्स तथा कॉमन एचटीएमएल टैग्स.
- **साइबर सिक्योरिटी एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़:** साइबर थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी टेक्नीक्स, भारतीय आईटी एक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा क्लाउड कंप्यूटिंग.

Fundamentals of Computers

- **Computer Fundamentals:** History and Basics, Classification, Hardware & Software, Processors, Memory, Computer Languages, Algorithms, and Flowcharts.
- **Operating Systems:** Functions & types, Processes, GUI-based Operating Systems.
- **Database Management Systems:** Database concepts, Need for Databases, Types of Keys.
- **Office Automation:** Word Processing, Spreadsheets, and Presentation software.
- **Networking & Internet:** Computer Networks, Internet basics, ISP, Web browsers, World Wide Web, URL, Domain names, Search Engines, email, Net Etiquette and Social Impact of ICT, Websites, Web pages, HTML basics, and common HTML tags.
- **Cyber Security & Emerging Technologies:** Cyber threats, Cyber Security Techniques, Indian IT Act, Introduction to Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things and Cloud Computing.

2.8 उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान

- उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय: स्थिति और विस्तार, पर्वत चोटियाँ, हिमनद (ग्लेशियर), नदियाँ, झीलें, वन, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य.
- उत्तराखंड का इतिहास: महत्वपूर्ण राजवंश, ब्रिटिश शासन काल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड, महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन और उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन.
- उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था: कृषि, प्रमुख उद्योग, पर्यटन, महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आँकड़े, रोज़गार और महत्वपूर्ण योजनाएँ.
- उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष और परंपराएँ.
- उत्तराखंड में जैव-विविधता, जल संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण और आपदा प्रबंधन.
- उत्तराखंड में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन और महत्वपूर्ण पहल.
- उत्तराखंड से संबंधित समसामयिकी.

Page 5 of 6

General Knowledge of Uttarakhand

- Geographical Introduction of Uttarakhand: Location and Extent, Mountain peaks, Glaciers, Rivers, Lakes, Forest, National parks and Sanctuaries.
- History of Uttarakhand: Important Dynasties, Period of British Rule, Uttarakhand from the perspective of the Indian Freedom Struggle, Important Social Movements and the Uttarakhand Statehood Movement.
- Economy of Uttarakhand: Agriculture, Important Industries, Tourism, Important Statistical Data, Employment and Important Schemes.
- Cultural Aspect and Traditions of Uttarakhand
- Bio-diversity, Water Resources, Environment, Pollution and Disaster management in Uttarakhand.
- General Administrative System, Local Self Government and Important initiatives in Uttarakhand.
- Current Affairs related to Uttarakhand.



परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून



सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून



(जसचन्त सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
कार्मिक एवं सार्वजनिक अनुभाग-4
उत्तराखण्ड शासन

परिशिष्ट-2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तराखण्ड की..... जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति)
आदेश 1950(जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश
1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार
उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....
..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ख)

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

.....उत्तराखण्ड के राज्य की.....पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति

उ0प्र0 लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त

है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-2 में अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी.

दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार

उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....

..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ग)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मोहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख(रुपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार
निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत
सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में
सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट साइज का
प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

परिशिष्ट-2(घ)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या-4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित).....
.....पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) उपयुक्त अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी.....

परिशिष्ट-2(च)
निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या:-.....

तारीख.....

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के
अध्यक्ष द्वारा विधिवत
प्रमाणित उम्मीदवार
का हाल का फोटो
जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता
हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....लिंग.....पहचान चिह्न.....

.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक(लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात(फॉल्लिज)

- i. दोनों टांगे(बी. एल.) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
- ii. दोनों बांहें(बी. ए.) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
- iii. दोनों टांगे और बांहें (बी.एल. ए.) – दोनों टांगे और दोनों बांहें प्रभावित
- iv. एक टांग(ओ.एल.) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

v. एक बांह (ओ.ए.) – एक बांह प्रभावित

- (क) दुर्बल पहुंच
- (ख) कमजोर पकड़
- (ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

- vi. पीठ और नितम्ब (बी.एच.) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन(बैठ और झुक नहीं सकते)
- vii. कमजोर मांस पेशियां (एम.डब्लू.) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि -

- i. बी. - अंधता
- ii. पी. बी. - आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- i. डी. - बधिर
- ii. पी. डी. - आंशिक रूप से बधिर
(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती-.....वर्षों.....महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत.....है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | |
|--|----------|
| i. एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| ii. पी.पी.- धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| iii. एल- उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| iv. के.सी.- घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| v. बी- झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| vi. एस- बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| vii. एस.टी.- खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| viii. डब्लू- चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| ix. एस.ई.- देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| x. एच- सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| xi. आर.डब्लू.- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-03

शासनादेश संख्या 374(1)/xxx(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक (Scribe) एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में निर्देश:-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित प्रतियोगी परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomotor disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया, (दानों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क पक्षाघात) से ग्रस्त है तथा इसके अतिरिक्त बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में श्रुतलेखक (Scribe) की अनुमति इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से लिखने में अक्षमता है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए श्रुतलेखक (Scribe) आवश्यक है। इस हेतु देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सा/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक (Scribe) हेतु दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 03 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-3(क) की प्रति, श्रुतलेखक (Scribe) से संबंधित परिशिष्ट-3(ख) की प्रति एवं श्रुतलेखक (Scribe) की दो आवक्ष फोटो, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण-पत्र एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात श्रुतलेखक (Scribe) उपलब्ध कराये जाने से संबंधित किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 03 दिन पूर्व अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र की प्रति के साथ परिशिष्ट-3(क) प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
3. श्रुतलेखक (Scribe) की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी।
4. दिव्यांग अभ्यर्थी की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्न-पत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
5. श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
6. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

परिशिष्ट-3(क)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that; I have examined Mr./Ms./Mr.
(name of the candidate with disability), a person with
(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability),
S/o/D/o a resident of
(Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which
hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government
Health care institution.

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

**Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability
(e.g. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic
specialist/PMR)**

परिशिष्ट-3(ख)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I, a candidate with (name of the disability) appearing for the (name of the examination) bearing Roll No. at (name of the Centre) in the District (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date: